**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान,आर.ए.एस.**

**अपील संख्याः 8/20** **निर्णय दिनांकः–13-02-2023**

1. सत्यनारायण पुत्र रामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी स्वरुपदेसर तहसील बीकानेर
2. गोदावरी बेवा रामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी स्वरुपदेसर तहसील बीकानेर
3. पार्वती
4. गुडडी
5. मुन्नी
6. दिवल

पुत्रियॉ रामलाल जाति ब्राहमण निवासी स्वरूपदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

**–बनाम–**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक
2. मूलचंद
3. तेजाराम
4. मनोज
5. चेतन

पिसरान स्व.हीरालाल

6. शारदा पत्नी स्व.हीरालाल
7. कोशल्यादेवी
8. सज्जन
9. राजेश्वरी

पुत्रियां स्व.हीरालाल

जाति ब्राहमण निवासीगण तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

10. सुमित्रा पत्नी रामकिशन जाति जाट साकिन स्वरुपदेसर तहसील बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2008**
**उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितः

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–5–2008 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण का वाद स्वीकार किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने के फलस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुसरण में विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि आराजी जैर तहसील बीकानेर के ग्राम स्वरुपदेसर के खसरा नम्बर 19 तादादी 38 बीघा, खसरा नम्बर 39 तादादी 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 तादादी 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 तादादी 46 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 तादादी 29 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 तादादी 17 बीघा 12 बिस्वा इस प्रकार कुल 148 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 4 तादादी 5.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 37 तादादी 4.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 156 तादादी 3.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 268 तादादी 1.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 308 तादादी 11.71 हेक्टर, खसरा नम्बर 334 तादादी 4.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 363 तादादी 7.50 हेक्टर पैमूद हुए। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि संवत् 2005 से पूर्व से ही बालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड रही है व बालूराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि का नामान्तरणकरण उनके वारिसों के नाम दर्ज किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसके अनुसार 1/2 अपीलांट्स के पिता, 1/2 शिवनारायण व 1/2 हीरालाल पुत्र पदमा 1/4 हिस्सेदार था। हीरालाल ने अपने हिस्से की भूमि की जरिये रिलीज अपीलांट्स के पक्ष में करवा दी व उक्त रिलीज के आधार पर वादगत् भूमि का इंतकाल अपीलांट्स के नाम दर्ज किया गया तथा मौके पर अपीलांटस को कब्जा दे दिया गया। हीरालाल के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि हीरालाल के नाम दर्ज हुई और हीरालाल एक मात्र खातेदार काश्तकार हुए। हीरालाल के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट मूलचंद आदि ने दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड/तथ्यों/बयान् गवाहान् के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। जबकि प्रकरण की वास्तविकता इस प्रकार है कि स्व. हीरालाल अपीलांट्स के सगे चाचा थे। हीरालाल के पिता पदमाराम, शिवनारायण व रामलाल संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य थे। हीरालाल के पिता पदमाराम द्वारा सवंत् 2004 में ही पारिवारिक समझौते के अनुसार अपने हक व हिस्से की भूमि को अपीलांट्स के पिता रामलाल को सुपुर्द कर दी गई व अपने हिस्से की 1/4 भूमि की रिलीज डीड अपीलांट्स के पक्ष में पंजीबद्व करवा दी थी। उक्त रिलीजडीड के आधार पर वादगत् भूमि का इंतकाल अपीलांट्स के नाम दर्ज किया गया।

प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष हुए बयानों में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया था कि पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त इस तथ्य की जानकारी तब हुई जब वह दिनांक 30—03—04 को वादगत् भूमि पर काश्त करने गये, कि पिताजी के द्वारा जमीन की रिलीज डीड की जा चुकी है। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि रेस्पोडेन्ट् प्रथम बार उक्त भूमि पर गया तथा दावा प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन हासिल होने का कथन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पोडेन्ट् मूलचंद स्व. हीरालाल के साथ एक ही परिवार में रहता था ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं माना जा सकता कि उसे रिलीजडीड की जानकारी नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक रिलिज डीड का प्रश्न है, अपीलांट् ने अपने व रिलीजडीड पर साक्ष्य के तौर कानाराम पुत्र पुरखाराम व लक्षमणराम पुत्र मधाराम जो कि ग्राम स्वरुपदेसर के अर्सेदराज से निवासी है। जिन्होंने दौराने जिरह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हीरालाल को पहचाना तथा इस तथ्य की ताईद की गई कि हीरालाल के कहने से उन्होंने रिलीज डीड पर बतौर साक्ष्य गवाही दी है। इसलिए वादगत् भूमि के बाबत् की गई रिलीज डीड फर्जी होना और संदिग्ध होने का कथन मिथ्या है।

उन्होंने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथनों के समर्थन में लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पत्रावली पर नहीं ली गई वरन् मात्र रेस्पोडेन्ट की बहस को पत्रावली पर लेकर अपीलांट् के पक्ष में हुई रिलीज डीड को नान एण्ड वॉयड़ धोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि स्व. हीरालाल को अपने हिस्से की कृषि भूमि जो संयुक्त खाते की भूमि है को रिलीज करने का अधिकार नही था तथा उसमें हीरालाल के सभी वारिसों का हिस्सा है। प्रकरण में अदालत मातहत की उक्त व्याख्या तत्समय के कानून अर्थात रिलिज के समय बीकानेर रियासत में बीकानेर टीनेन्सी एक्ट लागू था और बीकानेर टीनेन्सी एक्ट के तहत वादगत भूमि का मालिक एक मात्र स्व. हीरालाल थे तथा हीरालाल को अपनी भूमि जो उनके हिस्से में आयी थी की रिलीज करने का सम्पूर्ण अधिकार बीकानेर काश्तकारी कानून के तहत प्राप्त था। इस तथ्य की ताईद वादी के बयानों से होती है जिसके अनुसार हीरालाल की मृत्यु 70 वर्ष पूर्व सन् 1934 में होना व उसके आसपास होना बताया है। इस तथ्य से साबित है कि वादगत् भूमि बीकानेर काश्तकारी अधिनियम से गवरन होती थी। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पुत्र या अन्य वारिस पिता के जीवित रहते हुए उनका हिस्सा नहीं हो सकता। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स मूलचन्द व अन्य का जन्म बाद में हुआ है इसलिए उनका हिस्सा इन सम्पति में नहीं है। रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने बयानों में पदमाराम के देहान्त को 70 वर्ष पूर्व होना मानता है। इस आधार पर हीरालाल स्वयं अर्जित मालिक हुए और उन्हें अपनी भूमि की रिलीज डीड करवाने का विधि सम्मत अधिकार थे। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र वादी के कथनों पर विश्वास करते हुए अपीलांट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादगत् भूमि की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि आराजी जैर एक पैतृक हिन्दू परिवार की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट्स के पिता स्व. हीरालाल का 1/4 हक व हिस्सा निहित था। उक्त भूमि की तथाकथित रिलिज के आधार पर हीरालाल के हक व हिस्से की भूमि अर्थात 1/4 हक व हिस्से की भूमि का इंतकाल अपीलांट् सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। इस तथ्य की जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, खाता तक्सीम प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से वादी/रेस्पोडेन्ट्स का दावा डिक्री किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि आराजी जैर के बाबत् अपने कथनों के समर्थन में अदालत मातहत के समक्ष जमाबंदी सम्वत 2010 प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार रामलाल पुत्र परमान का 1/2 हिस्सा, पदमा व शिवनारायण पुत्र मदु बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ। रामलाल के स्वर्गवास के उपरान्त उनके वारिसान अपीलांट/प्रतिवादीगण नं. 1 ता 6 है तथा पदमाराम के स्वर्गवास के उपरान्त वारिसान हीरालाल एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 9 है व शिवनारायण के स्वर्गवास के उपरान्त उनके वारिसान ने अपना हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं. 10 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार साबित है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति थी जिसमें रेस्पोडेन्ट के पिता हीरालाल का 1/4 हक व हिस्सा निहित था तथा हीरालाल के 1/4 हक व हिस्से में रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 9 का जन्म से ही पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा हीरालाल का 1/5 हिस्सा था। ऐसी स्थिति में स्व. हीरालाल को अपने 1/5 हक व हिस्से तक भूमि को ही रिलीज करने का अधिकार था ना कि अन्य के हिस्से को रिलीज करने का अधिकार था क्योंकि वादगस्त भूमि स्व. हीरालाल की स्वअर्जित सम्पति नहीं थी। ऐसीस्थिति

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

में अपीलांट सं. 1 के हक में दिनांक 29–09–99 को की गई तथाकथित रिलीज डीड अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से अवैध व शून्य दस्तावेज है तथा शून्य दस्तावेज के आधार पर अपीलांट सं. 1 को वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का विधिक अधिकार हासिल नहीं होता है। प्रकरण में जहॉ तक विद्वान अभिभाषक अपीलांट् का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि पर तत्समय बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते थे स्वीकार योग्य कथन नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होते ही समस्त राजस्थान की कृषि भूमि इसी कानून के तहत गवर्न होने लगी तथा उक्त कानून के अनुसरण में को सह खातेदार अपने खातेदारी अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या सह हिस्सेदार के हक में रिलीज नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अपीलांट् की अपील का मुख्य आधार उक्त रिलीजडीड राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है, तथा जहां अपील का मूल आधार/दस्तावेज ही प्रारम्भ से ही संदेहास्पद तथा शून्य एवं वॉयड़ हो, तब ऐसे प्रभावहीन व शून्य दस्तावेजों के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दावे व जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में पॉच तनकीयात कायम की गई। उक्त तनकीयात् का अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड/मिलान क्षेत्रफल/गवाह/सबूत के आधार पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए विधि सम्मत रूप से वादीगण/रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

88, 89, 53, 188 व भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा वादपत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट/वादीगण को वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से तक का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–11–2019 के अनुसरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजों व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर दावे/जवाब दावे/साक्ष्य, सबूत के आधार पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

जिसके अनुसार तनकी संख्या 1 कायम की गई कि "आया वादगत् भूमि पैतृक एवं अविभाजित होने से वादगत् भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा है," जिसकी खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है? उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी/रेस्पोडेन्ट्स पर था। उक्त तनकी का निर्धारण अदालत मातहत द्वारा इस आधार पर किया गया है विवादित भूमि संवत् 2010 से वादीगण के दादा पदमाराम के नाम दर्ज भूमि रही है तथा पदमाराम के निधन के बाद जरिये विरासतन इंतकाल संख्या 24 दिनांक 23–06–1959 यानि संवत् 2015 में हीरालाल के नाम दर्ज हुआ। चूंकि वादगत् भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की कोपार्सनरी सम्पति है, ऐसी स्थिति में हीरालाल को अपने हिस्से में आई 1/4 हिस्से की भूमि में से अपने हिस्से अर्थात 1/5 हिस्से तक की भूमि के रिलीज करने के अधिकार प्राप्त थे ना कि सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की भूमि को रिलीज करने का अधिकार प्राप्त था। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को निर्णित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि वादी को वादपत्र प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन किस प्रकार हासिल हुआं? स्व. हीरालाल के पिता का देहान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने से पूर्व हुआ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अथवा बाद में? स्व. हीरालाल को अपने हक व हिस्से की भूमि को रिलीज डीड का अधिकार प्राप्त था अथवा नहीं? वादगस्त् भूमि बीकानेर काश्तकारी अधिनियम से गवर्न होती है अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से? यदि वादगत् भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से गवर्न होती है तो किस प्रकार से। इन सभी तथ्यों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, गवाह, गवाह जिरह व सुनवाई व सबूतों के आधार पर तय होने थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को निर्णित करते समय किसी भी बिन्दु पर अपना विस्तृत विवेचन उनके समक्ष दावे व जवाबदावे, साक्ष्य व सबूत, गवाह व जिरह गवाह के आधार पर विश्लेषित/विवेचित नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 4 कायम की गई कि "आया वादीगण मृतक हीरालाल के को–पार्सनर नहीं होने से हीरालाल द्वारा की गई रिलीजडीड विधि सम्मत होने से वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है? उक्त तनकी का निस्तारण करते हुए अदालत मातहत द्वारा अभिलिखित किया गया कि चूंकि वादगस्त् भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होते है ऐसी स्थिति में अपने हिस्से से अधिक की गई रिलीज अवैध व शून्य होने से तनकी संख्या 4 बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की गई। उक्त तनकी वादपत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण व साक्ष्य की मोहताज थी। अदालत मातहत द्वारा उक्त तनकी को निर्णित करते समय मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सरसरी तौर पर व्याख्या अंकित की गई। जबकि उक्त तनकी को निर्णित करने से पूर्व यह देखा जाना अपरिहार्य था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में तत्समय बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के प्रावाधान लागू होते है अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त दोनों तनकीयात पर की गई विवेचन अपूर्ण व प्रस्तुत तथ्यों/कानून के प्रकाश में मात्र सरसरी तौर पर निर्णित किया जाना परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा जिस रिलीजडीड को फर्जी बताया जा रहा है, उक्त रिलीजडीड को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने के संबंध में उनके द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं?

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 व 3 को इस आधार पर निस्तारित किया गया कि चूंकि तनकी संख्या 1 व 4 में यह निर्णित हुआ कि वादीगण वादगत् भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो चुके है ऐसी स्थिति में उक्त तनकीयात् बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण तय की जाती है। अदालत मातहत की उक्त दोनों तनकीयात् पर की गई विवेचना तनकी संख्या 1 व 4 पर अभिनिर्धारित है जबकि अदालत मातहत को चाहिए था कि उक्त दोनों तनकीयात् का वादपत्र व प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर निस्तारित की जाती। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके द्वारा कारित की गई तनकीयात् का विधि के परिप्रेक्ष्य में निस्तारण नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है। जिसकी पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31—05—2008 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

## डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9 )

**अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर**
**बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.**

**सत्यनारायण बनाम मूलचन्द**
**(अपील संख्या 08/20)**

**बनाराजगी निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर**
**मुवर्खे 31–05–2008**

यह अपील ब–तारीख 13/2/23 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री जगदीश शर्मा मिनजानिब अभिभाषक अपीलांट्स व श्री सुरेन्द्रपाल शर्मा मिनजानिब अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2008 उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर निरस्त किया गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 13 माह 02 सन् 2023 को जारी किया गया।

13/2/23

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू. | पै. | रेस्पोडेन्ट | रू. | य पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील.....<br>2. स्टाम्प वकालतनामा .....<br>.....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>... | | | 1. स्टाम्प वकालतनामा.....<br>.<br>2. अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील ..... | | |
| 4. वकील फीस बाबत् .....<br>मीजान ..... | | | मीजान ..... | | |